

कार्यालय कलेक्टर धमतरी, जिला धमतरी (छ0ग0)

//ज्ञापन//

क्रमांक / 569 वाचक / कलेक्टर / 2015

धमतरी, दिनांक 8-1

प्रति,

कार्यपालन अभियंता(सिविल)
सिविल मुख्यालय संभाग
छ0ग0रा0वि0पारे0कं0 मर्या0 रायपुर
जिला -रायपुर

विषय :- ग्राम चमेदा, प.ह.न. 15, तहसील नगरी, जिला धमतरी में, छ0ग0रा0वि0पारे0कं0 मर्या0 के द्वारा 132 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र क. का.अ./मु.सं./सि.-पारे/रायपुर/तक./1676-77 रायपुर, दिनांक 26/10/2015।

—00—

ग्राम चमेदा प.ह.न. 15, तहसील नगरी, जिला धमतरी में 132 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु राजस्व वन भूमि पटवारी हल्का नं. 15 खसरा नं. 7 का भाग रकबा 1.41 हेक्टेयर तथा खसरा नं. 06 का भाग 0.16 हेक्टेयर कुल योग 1.57 हेक्टेयर (3.88 एकड़) पर 132 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु आबंटन किये जाने बाबत आवेदित है। उक्त खसरा क्रमांक की भूमि राजस्व अभिलेख में बड़े झाड़ के जंगल के मद में दर्ज है जो कि राजस्व वन भूमि की परिधि में आता है।

उक्त राजस्व वन भूमि को यदि वन विभाग के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों एवं उपबंधों के तहत भू प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है, तो इस संबंध में इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

पृ. क्रमांक / / वाचक / कलेक्टर / 2015
कलेक्टर
जिला-धमतरी
धमतरी, दिनांक 8।

प्रतिलिपि:-

वन मंडलाधिकारी, वनमंडल धमतरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

T-S.
सिविल मुख्यालय संभाग
रायपुर
2040
9/12/15

पुणे
06.12.15

2/35
16/12/15
जिला-धमतरी
कलेक्टर